न्यायालयः राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक/ /I/2016 निगरानी निग – 2771 – I 16

1–हरपाल पुत्र दिलीप सिंह
2–ईश्वर सिंह पुत्र दिलीप सिंह
जातियान जाट निवासीगण ग्राम
लहरौनी तह. कराहल जिला श्योपुर

...........निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र.शासन

...........गैरनिगरानीकर्ता

दिनांक 16.8.16 को श्री वीरसिंह जादौन का.वि० द्वारा प्रस्तुत।
16.8.16
SO

निगरानी रूिद्व प्रकरण कमांक 21/15–16/स्वमेव निगरानी अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के आदेश दिनांक 25.07.16 के विरूद्व

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ताओं की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

निगानी का संक्षिप्त में विवरण :–

यह कि ग्राम लहरौनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 158/4मि. रकबा 3.135 हे., सर्वे नं. 159/5 रकबा 3.135 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 6.270हे पर आवेदकगण करीबन 15–20 वर्षो से निरंतर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे थे, उसने अपने कब्जे के आधार पर ग्राम की उक्त भूमि पर नामांतरण हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय कराहल के समक्ष कब्जे के आधार पर नामांतरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार महोदय कराहल द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुऐ विचरण प्रारम्भ किया और अपने न्यायालयीन प्र.कं. 84/2012–13/अ–6 पर दर्ज करके आदेश दिनांक 19.07.13 से प्रार्थीगण के हित में नामातरण स्वीकार किया गया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 13.02.14 कमांक/जॉच/प्रतिवेदन/2014/143 श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष 61 लोगों के रूिद्व प्रतिवेदन भेजा गया जो अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17.02.14 को रीडर 2 के लिये मार्क किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार

कमंशः...........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2771-एक/2016 जिला- श्योपुर

हरपाल आदि विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 21/2015-16/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	